



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102022-239292
CG-DL-E-03102022-239292

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 241]
No. 241]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ASVINA 8, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

मामला संख्या: एडी - (ओआई)09/2022

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “सल्फर ब्लैक” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा.संख्या 6/09/2022-डीजीटीआर.—1. मैसर्स अतुल लिमिटेड (जिसे इसके बाद “आवेदक” भी कहा गया है) ने 1995 और उसके बाद यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिस आगे अधिनियम भी कहा गया है) समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे “नियमावली” भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन (जिसे आगे ‘संबद्ध देश’ भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “सल्फर ब्लैक” (जिसे आगे ‘संबद्ध वस्तु’ या ‘विचाराधीन उत्पाद’ भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सल्फर ब्लैक" है। सल्फर ब्लैक का प्रयोग मुख्यतः डाइंग सेल्युलोज फाइबर, विस्कोस स्टैपल फाइबर और यार्न में किया जाता है। इसे पाउडर रूप में या तरल रूप में उत्पादित किया जाता है। उत्पादित करने के रूप पर विचार किए बिना, इसे किसी खास अतिरिक्त लागत के बिना एक रूप से दूसरे रूप में आसानी से बदला जा सकता है। विचाराधीन उत्पादन को 20 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच विभिन्न सान्द्रणों में भी उत्पादित किया जाता है। इन सान्द्रणों को बीआर 100, बीआर 200, बीआर 220, बीआर 240 आदि के रूप में वर्णित किया जाता है। मानक सान्द्रण बीआर 220 है। यद्यपि इस उत्पाद को विभिन्न सान्द्रणों में उत्पादित किया जाता है, तथापि उनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है।
4. क का प्राथमिक रूप से डाइंग सेल्युलोज फाइबर के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे डाइंग विस्कोस सल्फर ब्लै स्टैपल फाइबर और यार्न, पेपर और चमड़े के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए विचाराधीन उत्पाद का प्राथमिक अनुप्रयोग वस्त्र, कागज और चमड़ा क्षेत्र में है।
5. विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश से सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 32 के अन्तर्गत उप-शीर्ष 320419 के अधीन आने वाले विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत आयातित किया जा रहा है। तथापि, पीयूसी के आयात अन्य उप-शीर्षों के अन्तर्गत भी हुए हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
6. जांच के लिए पक्षकार पीयूसी तथापीएफ पीसीएन के परिकलन के लिए उनके प्रस्ताव संबंधी कोई टिप्पणियां, यदि कोई हों, 20 अक्तूबर, 2022 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

7. आवेदक ने दावा किया है कि भारत में कथित रूप से पाटित की गई संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से उत्पादित और निर्यातित विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। ये दोनों उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इसलिए, वर्तमान जांच के प्रयोजनों के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के लिए 'समान वस्तु' के रूप में माना जा रहा है।

ग. संबद्ध देश

8. वर्तमान याचिका में संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

9. यह आवेदन मैसर्स अतुल लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है और विचाराधीन उत्पाद के छह अन्य उत्पादकों अर्थात् मैसर्स एपको डाई केम प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स भानु डाईज प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स मौलिक डाई केम, मैसर्स वी.एस. एपेरल्स, मैसर्स खेकरा केमिकल एंड एलाइड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, और मैसर्स नितिन इंडस्ट्रीज द्वारा समर्थित हैं। आवेदक ने दावा किया है कि उन्होंने न तो पीयूसी का आयात किया है और न ही वे चीन जन.गण. में विचाराधीन उत्पाद के किसी उत्पादक/निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयात से संबंधित हैं। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए, आवेदक के पास भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है। उपर्युक्त के मद्देनजर और जांच के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

ड. कथित पाटन का आधार

सामान्य मूल्य

10. आवेदक ने दावा किया है कि चीन के एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के अनुसार चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य चीन में प्रचलित लागत या घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर केवल तभी निर्धारित किया जाए, यदि चीन के उत्पादक यह दर्शाएं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चालित सिद्धांतों पर आधारित हैं और एडीडी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 1 से 6 के अनुसार उचित तुलना की अनुमति देते हैं, ऐसा न होने पर

चीन से उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

11. आवेदक ने दावा किया है कि विश्व भर में चीन को छोड़कर, विभिन्न देशों से तुर्की में आयातित विचाराधीन उत्पाद की कारखानाद्वारा कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। वैकल्पिक रूप से आवेदक ने चीन जन.गण. के लिए विधिवत् रूप से समायोजित उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य की गणनाएं भी प्रस्तुत की हैं।

निर्यात कीमत

12. आवेदक ने निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु बाजार आसूचना के अनुसार यथा-सूचित सीआईएफ कीमत का दावा किया है। निर्यात कीमत को समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अन्तर्देशीय मालाभाड़ा व्यय, पत्तन व्यय और बैंक प्रभारों के लिए समायोजित किया गया है।

पाटन मार्जिन

13. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानाद्वारा स्तर पर की गई है पृथग्दृष्ट्या दर्शाती है कि पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है और संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में काफी अधिक है। इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

च. क्षति और कारणात्मक संबंध

14. घरेलू उद्योग की क्षति के आकलन के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से पाटित आयातों की बढ़ी मात्रा के रूप में कथित पाटन, कीमत कटौती और घरेलू उद्योग पर कीमत ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव के परिणामस्वरूप क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग के लिए क्षतिकारी कीमत पर विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप बिक्री, लाभप्रदता, निवेश पर आय, मालसूची का एकत्रण और क्षमता उपयोग के संबंध में उसका कार्य-निष्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुई है।

छ. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

15. घरेलू उद्योग द्वारा दायर विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए जांच की शुरुआत करते हैं।

ज. जांच की अवधि

16. वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की है। क्षति जांच अवधि में वित्तीय वर्षों 2018-19, 2019-20, 2020-21 और जांच की अवधि शामिल है।

झ. प्रक्रिया

17. एडी नियमावली, 1995 के नियम 6 के अन्तर्गत यथावर्णित सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

18. निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले सभी पत्र ई-मेल पत्तों dd12-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in पर तथा उनकी एक प्रति adg14-dgtr@gov.in और adv14-dgtr@gov.in को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

19. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में संबद्ध देश के दूतावास के ज़रिए उसकी सरकार भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातक और प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस अधिसूचना के पैरा 23 में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत कर दें। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, एडी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा यथाविहित पद्धति और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
20. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी वर्तमान जांच से संगत अनुरोध इस जांच परिणाम अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर जांच शुरुआत अधिसूचना, एडी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा यथाविहित ढंग और तरीके से प्रस्तुत कर सकता है।
21. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
22. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की धिकारिक वेबसाइट अर्थात् <http://www.dgtr.gov.in> को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. समय-सीमा

23. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पतों dd12-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in तथा adg14-dgtr@gov.in और adv14-dgtr@gov.in को एक प्रति के साथ उस तारीख के 30 दिनों के भीतर ईमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए, जिस पर उसे एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजा गया है या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया गया है, को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली, 1995 के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और इस अधिसूचना में यथानिर्धारित उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।
25. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है, वहां उसे एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार का पर्याप्त कारण बताना चाहिए और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

26. जहां वर्तमान में कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है या प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना देता है, वहां उसे एडी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी की गई संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
27. ऐसे अनुरोध पर प्रत्येक पृष्ठ पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी।
28. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को अनिवार्य रूप से गोपनीय अंश की अनुकृति होना चाहिए जिसमें "गोपनीय सूचना" अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) होनी चाहिए और ऐसी सूचना को जिस सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है, उस पर निर्भर रहते हुए उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत होना चाहिए।
29. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की पर्याप्त तर्कसंगत समझ बन सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय आधार पर सूचना देने वाला पक्षकार इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के स्तर तक एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसे कारणों को पर्याप्त और पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाला एक विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। अन्य इच्छुक पक्ष दस्तावेज़ के अगोपनीय संस्करण को प्राप्त करने के 7 दिनों के भीतर गोपनीय रूप से दावा किए गए पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं।

30. गोपनीयता के दावे पर उसके किसी सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और पूर्ण कारणों के बिना किया गया कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड. सार्वजनिक फाईल का निरीक्षण

31. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर लोड की जाएगी कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश को ई-मेल कर दें।

ढ. असहयोग

32. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2022

Case No. AD (OI) - 09/2022

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Sulphur Black” originating in or exported from China PR.

F. No. 06/09/2022-DGTR.—1. M/s Atul Ltd. (hereinafter referred to as the 'applicant') has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules'), for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “Sulphur Black” (hereinafter referred to as the 'subject goods' or the 'product under consideration') originating in or exported from China (hereinafter referred to as 'the subject country').

2. The applicant has alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to the dumped imports, originating or exported from the subject country and has requested for the imposition of anti-dumping duties on the imports of subject goods from the subject country.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration is “Sulphur Black” originating in or exported from China PR. Sulphur Black mainly used for dyeing cellulose fiber, viscose staple fiber and yarn. It is produced either in a powder form or in a liquid form. Regardless of the form it is produced in, it can be easily converted from one form to another without significant additional costs. The product under consideration is also produced in various concentrations ranging from 20% to 100%. These concentrations are described as BR 100, BR 200, BR 220, BR 240, etc. The standard concentration is BR 220. Though the product is produced in various concentrations, they can be interchangeably used.

4. Sulphur Black is primarily used for dyeing cellulose fiber. It is also used for dyeing viscose staple fiber and yarn, paper and leather. The primary application of the product under consideration is, hence, in the textile, paper and leather sectors.

5. The product under consideration is being imported from the subject country under various sub-headings falling under the sub-heading 320419 under Chapter 32 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975). However, imports of the PUC have taken place in other sub-headings as well. The customs classification is only indicative and the same is not binding on the scope of the investigation.

6. The parties to the investigation may provide their comments on the PUC as well as their proposal for construction of PCNs, if any, by 20th October, 2022.

B. LIKE ARTICLE

7. The applicant has claimed that the subject goods, which have been alleged to be dumped in India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no known differences in the subject goods produced by the Indian industry and the product under consideration produced and exported from the subject country. The two products are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The Authority notes that the two are technically and commercially substitutable. Hence, for the purposes of the present investigation, the subject goods produced by the applicant is being treated by the Authority as 'like articles' to the subject goods being imported from the subject country.

C. SUBJECT COUNTRY

8. The subject country in the present petition is China PR.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

9. The application has been filed by M/s Atul Ltd. and is supported by six other producers of the product under consideration namely, M/s Apco Dye Chem Pvt. Ltd., M/s Bhanu Dyes Pvt Ltd., M/s Maulik Dye Chem, M/s V.S. Apparels, M/s Khehra Chemical & Allied Products Pvt Ltd. and M/s Nitin Industries. The applicant has claimed that they have neither imported the PUC nor is related to the any producer/exporter of the product under consideration in China PR or any importer of the subject goods in India. Considering the information on record, the applicant accounts for a major proportion of the Indian production. In view of the above and after examination, the Authority notes that the applicant constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

E. BASIS OF ALLEGED DUMPING

Normal Value

10. The applicant has claimed that in terms of Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol, the normal value for Chinese producers may be determined based on costs or domestic selling prices prevailing in China, only if the responding Chinese producers demonstrate that their cost and price information are based on market driven principles and allow for fair comparison in terms of Para 1 to 6 of Annexure I to ADD Rules, failing which, normal value for Chinese producers must be determined based on para 7 and 8 of Annexure I to the rules.

11. The applicant has claimed the normal value on the basis of the ex-factory price of the product under consideration imported into Turkey from various countries globally, excluding China PR. Alternatively, the applicant has also provided calculations of normal value on the basis of cost of production, duly adjusted for China PR.

Export price

12. The applicant has claimed the CIF price reported as per market intelligence for determination of export price. The export price has been adjusted with ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses and bank charges.

Dumping margin

13. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which prima facie shows that the dumping margin is above the de-minimis level and is significant in respect of the product under consideration from the subject country. Thus, there is sufficient prima facie evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in Indian market by the exporters from the subject country.

F. INJURY AND CAUSAL LINK

14. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished evidence regarding the injury taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production or consumption in India, price undercutting and price suppressing and depressing effect on the domestic industry. The applicant has claimed that its performance has been adversely impacted in respect of sale, profitability, return on investment, accumulation of inventories and capacity utilization as a result of increase in imports of product under consideration at an injurious price for the domestic industry. There is sufficient prima facie evidence that the injury is being caused to the domestic industry by dumped imports from the subject country.

G. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

15. On the basis of the duly substantiated written application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of prima facie evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

H. PERIOD OF INVESTIGATION

16. The period of investigation (POI) adopted by the Authority for the present investigation is 1st April, 2021 to 31st March, 2022. The injury investigation period covers the financial years 2018-19, 2019-20, 2020-21, and the POI.

I. PROCEDURE

17. The principles as stated under Rule 6 of the AD Rules, 1995 shall be followed in the present investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

18. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email address dd12-dgtr@gov.in and dd16-dgtr@gov.in with a copy to adg14-dgtr@gov.in, and adv14-dgtr@gov.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

19. The known producers/exporters in the subject country, the Government of the subject country through its Embassy in India, the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in para 23 of this notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this Initiation Notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority.

20. Any other interested party may also make submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this Initiation Notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority within time limit mentioned in this initiation notification.

21. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

22. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

K. TIME LIMIT

23. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email address dd12-dgtr@gov.in and dd16-dgtr@gov.in with a copy to adg14-dgtr@gov.in, and adv14-dgtr@gov.in within 30 days from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.

24. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.

25. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6 (4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

26. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, it is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the AD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.

27. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission which has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non-confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

28. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should essentially be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is

not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

29. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentially claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the document.

30. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

31. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

N. NON-COOPERATION

32. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority